

प्रेसनोट दिनांक 06.09.2023

1. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामप्रकाश सिंह थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धीरज प्रजापति पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 नियावां रिकाबगंज थाना को0नगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 583/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम सोनी पुत्र राजकुमार नि0 दालमण्डी थाना को0नगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 585/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री प्रभाकान्त तिवारी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शनि पुत्र भुइधर नि0 फततेपुर थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 587/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री यशवन्त द्विवेदी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामबचन पुत्र रामप्यारे नि0 सरैया थाना असन्द्रा बाराबंकी। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 323/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्रनाथ राय थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो0अकरम पुत्र इस्लाम नि0 तकपुरा थाना को0अयोध्या अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 650 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 508/23 धारा 8/20 एनडीपीएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवकुमार पुत्र हरिपाल नि0 काशीराम कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 510/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जवाहर पाल थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अजय सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह नि0 रेवरी थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 238/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवशंकर मिश्रा पुत्र जगनरायन नि0 सुदामापुर थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 241/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि करिया उर्फ राजेश पुत्र पड़ोही नि0 महावां थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 444/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अमित सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि आशाराम पुत्र भगौती नि0 जानकीपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 445/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 05.09.23 को वादी म०उ०नि० पूजाराज थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी हृदयराम नि० जानकीपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 446/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवरथी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विजय उर्फ गोली पुत्र मक्कूलाल नि० महावां थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 447/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि प्रेमचन्द्र पुत्र धिराऊ नि० नियाजपुर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 172/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री अजय कुमार त्रिपाठी थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विजय बहादुर पुत्र राममिलन नि० जोरिया रखौना थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 173/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमर बहादुर शर्मा पुत्र रामअचल नि० खरगपुर थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 240/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो० एहसान पुत्र मो० शब्बीर नि० मेहदौना भारी थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 1100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 387/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री अनुराग पाठक थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विश्वनाथ सोनी पुत्र स्व० केदारनाथ सोनी नि० मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 389/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार उर्फ झिमई पुत्र भुलई प्रसाद नि० मीठेगांव थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 390/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री अभय प्रताप सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राघवराम पुत्र स्व० शिचरन नि० मीठेगांव थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 391/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 05.09.23 को वादी श्री संजीव कुमार सिंह प्र०नि० कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. वकील उर्फ सेनापति पुत्र मंजूर नि० इटौजा थाना कुमारगंज अयोध्या 2. सन्त कुमार सिंह पुत्र स्व०

स्वामी नाथ नि० जरई खुई थाना हलियापुर सुलतानपुर 3. हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र केतारनाथ उर्फ केदारनाथ नि० नरगेसवा थाना हलियापुर सुलतानपुर। तीनों पूर्व से जेल में अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व बुनियावी लाभ हेतु चोरी नकबजनी जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 161/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश कुमार चौहान पुत्र राजकरन नि० कुरावन थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 184/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 05.09.23 को वादी आरक्षी श्री अजय कुमार थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजकरन पुत्र स्व० फयादीन नि० शंकरलाल का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 185/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 05.09.23 को वादी आरक्षी श्री धर्मेन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक कुमार पुत्र स्व० अशोक कुमार नि० अमावां सुफी थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 186/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

24. दिनांक 05.09.23 को वादी आरक्षी श्री धर्मेन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी स्व० शिवचरन नि० अमावां सुफी थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 188/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

25. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामहरिश पुत्र रामबरन नि० मोहली थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 189/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

26. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामू पुत्र ननके नि० छोटा मानपुर थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 445/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

27. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ तन्नू पुत्र छोटे लाल नि० गायत्रीनगर थाना पटरंगा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 446/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

28. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जगजीवन रावत पुत्र स्व० बृजलाल नि० अहिरौली थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 447/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

29. दिनांक 05.09.23 को वादी उ०नि० श्री अविनाश चन्द्र थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि देशराज पुत्र बिहारी नि० मलिकजादा थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोरूदौली में मु0अ0सं0 448/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

30. दिनांक 05.09.23 को वादी आरक्षी श्री आशिफ अली थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सिकन्दर उर्फ बुच्ची पुत्र लोधे नि0 धमौली थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 130/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

31. दिनांक 05.09.23 को वादी आरक्षी श्री दयानन्द यादव थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जगदीश पुत्र मोतीलाल नि0 सरैया सुलतानपुर मत्था नेवादा थाना बाजार अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 116/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 05.09.23 को वादी उ0नि0 श्री थीरेन्द्र आजाद थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामजीत पुत्र रामअवध नि0 बालाघाट कसारी थाना बाबा बाजार अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 117/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 05.09.23 को वादी मु0आरक्षी श्री मंशाराम यादव थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश यादव पुत्र राम सुधर यादव नि0 ऐली परसौली थाना उमरी बेगमगंज गोण्डा। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 200/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।